संख्या-101/2020/1961/26-3-2020

प्रेषक,

सतीश कुमार
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 31 जुलाई 2020

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय इटौरा आगरा के भवन मरम्मत एवं रंगाई-पुताई सम्बन्धी कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4563-64/स0क0/आ.प.वि.-प्रकोष्ठ(552)/मरम्मत इटौरा-आगरा/2019-20, दिनांक-06.03.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789- अनूसूचित जातियों के विशेष घटक योजना-09-राजकीय छात्रावासों/राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि रू0-500.00 लाख में से राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, इटौरा, आगरा के अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु आगणित धनराशि रू0-224.66 लाख के सापेक्ष **प्रथम किश्त के रूप में रू0-50.00 लाख (रू0-पचास लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1)-निदेशक,समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था सी0एन0डी0एस0, निदेशक, विद्युत /यांत्रिक नलकूप विंग, यू0पी0 जल निगम, 5/381 विक्रम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के साथ अनुबन्ध निष्पादित करते हुये स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है, इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, समाज कल्याण का होगा।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विद्यमान नियमों का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन व महालेखाकार को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

(4)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का निर्माण निर्धारित ससमय में पूर्ण कर लिया जाये।

(5)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6)-धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नही रखी जायेगी।

(7)-उक्त प्रायोजन की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये। उक्त कार्य की मात्राओं के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(8)-कार्यदायी संस्था द्वारा अधिष्ठान व्यय वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेश के आलोक में लो0नि0वि0 द्वारा निर्धारित दर 6.875 लिया जायेगा एवं आगणन लो0नि0वि0/के0लो0नि0वि0 की दर पर तकनीकी स्वीकृति समक्ष स्तर से प्राप्त कराकर कार्य प्रांरभ किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-''2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-09-राजकीय छात्रावासों/राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण मद के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च 2020 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव

पृसं0-101/2020/1961(1)/26-3-2020 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा, उ0प्र0।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
6- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, विद्युत/यांत्रिक नलकूप विंग, सी0एन0डी0एस0, यू0पी0 जल निगम, 5/381 विक्रम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0।
9- गार्डफाइल

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।